सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, मेरठ।

महोदय,

आज दिनांक–13.05.2019 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थित बकाया 14 दुकानों की वित्तीय वर्ष 2019–20 में निर्धारित वस्तुओं के दुकानों के स्थान की नीलामी के सम्बंध में माननीय जनपद न्यायाधीश, मेरठ के द्वारा गठित समिति की बैठक, समिति सदस्य, अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं०–12 के विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई। जनपद न्यायालय परिसर में स्थित बकाया 14 दुकानों के वार्षिक ठेकों के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं०–28/एए दिनांकित–17 मार्च 1958, परिपत्र संख्या–163/एए दिनांकित 8 नवम्बर, 1974 एवं परिपत्र संख्या–797/एडमिन(बी–1) सेक्शन दिनांकित–15 मार्च, 1994 पर विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जारी किए गये उक्त परिपत्रों के अनुसार सिविल कोर्ट कम्पाउंड में स्थित बकाया 14 दुकानों के ठेके नीलामी के द्वारा दिये जाने तथा परिसर में स्थित दुकानों के ठेके नीलामी प्रकिया द्वारा वार्षिक आधार पर उच्चतम् बोली दाता के पक्ष में दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि जनपद एवं सत्र न्यायालय में स्थित बकाया 14 दुकानों के ठेके की वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए निर्धारित वस्तुओं के विकय हेतु दुकानों के आवंटन की कार्यवाही खुली नीलामी के द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जाये।

समिति के द्वारा नीलामी की कार्यवाही के सम्बंध में नियम व शर्तें निश्चित की गयी। नीलामी की सूचना अधिकतम् लाभ तथा प्रसार हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित कराये जाने तथा सूचना, नियम व शर्तें जनपद एवं सत्र न्यायालय के नोटिस बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस बोर्ड व अन्य विभागों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यवाही की शर्तें व रिपोर्ट माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित हैं।

13/05/19

(हरबंश नारायण)
सदस्य/नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–18, मेरठ।

(प्रभु नारायण पाण्डेय)
सदस्य/नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–12, मेरठ।

DISTRICT JUDGE
I/c MEERUT.

नीलामी की शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019–2020 के लिये बकाया 14 दुकाने, जिसमें चाय, हलवाई, चाटफल आदि व फोटो स्टेट आदि के स्थान की नीलामी दिनांक 30.05.2019 को प्रातः 10:00 बजे जिला एवम् सत्र न्यायालय परिसर में स्थित तेरह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते है। नीलामी के नियम तथा शर्तें इस प्रकार है–

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी जोकि पिछले वर्ष 2018–2019 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. बोली जिसके नाम छूटेगी उसे ठेके की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा क़रनी होगी, और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
4. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नही की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम् बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्योरटी–मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तो के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।
7. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
8. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ठेकेदार को दुकान के आस–पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
10. पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेगें इस सम्बन्ध में उन्हें एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।
11. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे वह खाद्य अपमिश्रित एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
12. खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एल० पी० जी० गैस का प्रयोग करेंगे और किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेगें।
13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।
14. ठेका शर्तों के उल्लघंन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान

खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्चे पर खाली कराकर कब्जा लिया जावेगा और दुकान पुनः नीलामी/आवंटन योग्य होगा।

15. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेंगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थो की बिक्री नहीं करेंगे।

16. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अंधिकार नहीं होगा यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

17. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।

19. कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार के गत्ते/प्लास्टिक के ग्लास एवं बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा।

20. नीलामी प्रकिया में दुकान का ठेका स्वीकृत हो जाने पर बोलीदाता को ठेका राशि की 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तुरन्त करना होगा तथा शेष धनराशि का भुगतान 7 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमानत की जमा धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।

21. सभी दुकानदारों को अपने नाम से विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन लेना होगा। जिसका उन्हें नियमित मासिक भुगतान करना होगा। भुगतान के सम्बंध मे सूचना यथा समय नजारत अनुभाग में देनी होगी।

22. किसी भी दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के आगे वाहन इत्यादि को खड़ा नहीं कराया जायेगा।

23. किसी भी दुकानदार द्वारा दुकानों में अनावश्यक रूप से तोड़फोड़ नहीं की जायेगी।

(हरवीर नारायन)
सदस्य/नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–18, मेरठ।

(प्रभु नारायण पाण्डेय)
सदस्य/नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–12, मेरठ।

Approved
DISTRICT JUDGE
I/C MEERUT